UPRB010016312026

न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट) रायबरेली
पीठासीन अधिकारी–(अमित कुमार पाण्डेय),(उच्चतर न्यायिक सेवा)UP06246
जमानत प्रार्थनापत्र सं०–658/2026

प्रमोद कुमार उम्र 40 वर्ष पुत्र राजपाल निवासी ग्राम छजलापुर, निकट मंदिर परिसर, थाना मिलएरिया, जिला– रायबरेली।

.... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ० प्र० राज्य द्वारा डी०जी०सी० (क्रिमिनल),रायबरेली।

.........विपक्षी

मु० अपराध सं०–1366/2020
धारा– 135 विद्युत अधिनियम
थाना–एन्टी पावर थेफ्ट जनपद रायबरेली।

<u>जमानत आदेश</u>

1– प्रार्थी/अभियुक्त प्रमोद कुमार की ओर से मुकदमा अपराध सं०–1366/2020 धारा–135 विद्युत अधिनियम थाना–एन्टी पावर थेफ्ट जनपद रायबरेली के मामले में जमानत हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 24.11.2020 को समय करीब 13.35 बजे से 13.45 तक वादी मुकदमा निरीक्षक ए.एच. जैदी अवर अभियंता प्रदीप कुमार मौर्या, हे०का० विनोद कुमार सिंह, हे०का० चंद्रशेखर यादव, हे०का० राजेंद्र सिंह प्रवर्तन दल रायबरेली मय अनुबंधित वाहन, चालक मय अनुबंधित वाहन, चालक के साथ विद्युत चोरी रोकथाम एवं राजस्व वृद्धि हेतु थाना मिलएरिया रायबरेली चेकिंग में मामूर थे कि श्री प्रमोद कुमार द्वारा परिसर में ही स्थित मंदिर के पास के एल.टी. पोल की ओवर हेड लाइन/तार से दो कोर की केबिल से जोड़कर परिसर में लगे स्विच बोर्ड में जोड़कर एल.एम.वी. –1 विधा में 936 वाट विद्युत का अवैध उपभोग बिना विद्युत मीटर के करते हुए पाये गये।

3– जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त को रंजिशन फर्जी परेशान करने की नियत से उपरोक्त अपराध में झूठा फंसाया गया है, कथित अपराध उपरोक्त से प्रार्थी/अभियुक्त का कोई सम्बन्ध सरोकार नही है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा न कोई जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय में, न ही उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और न ही विचाराधीन है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

4– विद्वान ए०डी जी०सी० के द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा द्वारा परिसर में ही स्थित मंदिर के पास के एल.टी. पोल की ओवर हेड लाइन/तार से दो कोर की केबिल से जोड़कर परिसर में लगे स्विच बोर्ड में जोड़कर एल.एम.वी. –1 विधा में 936 वाट विद्युत का अवैध उपभोग बिना विद्युत मीटर के करते हुए पाये गये। विद्युत विभाग द्वारा पकड़े जाने पर रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

5–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना तथा मेरे द्वारा पुलिस प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया गया।

6– प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त घटनास्थल से गिरफ्तार नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को सशर्त जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार प्रार्थनापत्र जमानत स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त प्रमोद कुमार की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र सं०–658/2026 मुकदमा अपराध सं०–1366/2020 धारा–135 विद्युत अधिनियम थाना–एन्टी पावर थेफ्ट जनपद रायबरेली के मामले में स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मु० पच्चीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

(अमित कुमार पाण्डे)
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
विशेष न्यायाधीश (इ.सी.एक्ट)
रायबरेली।

दिनांकः11.03.2026

Digitally signed by Amit Kumar Pande
Date: 2026.03.12 09:30:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Raebareli